सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 53/2016

1. हेतराम पुत्र लखूराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 06 साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. किसान को–ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी, दुकान नम्बर 9, पुरानी धानमण्डी श्रीगंगानगर

अप्रार्थी

निगरानी विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत साधुवाली दिनांक 23.06.1961 जिसके रूह से अप्रार्थी संख्या 02 का अहाता संख्या 314–315 आवंटित किया गया, बमुराद मन्सूखिया, अर्न्तगत राजस्थान पंचायत एण्ड न्याय पंचायत (जनरल) रूल्स 1961, सपठित धारा 97, राजस्थान पंचायती राज, 1994

उपस्थित : 1. श्री मोहनलाल छाबडा, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. श्री तेजा सिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थी

आदेश दिनांकः 28.11.2017

हस्तगत निगरानी के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी शुरू से आज तक साधुवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थायी तौर पर निवास कर रहा है और पंचायत का करदाता है। अप्रार्थी संख्या 02 को आवंटन करने का अधिकार पंचायत एक्ट या रूल्स के तहत ग्राम पंचायत को नहीं है। आबादी भूमि केवल विधिनुसार ग्रामवासियों को आंवटन की जा सकती है। अप्रार्थी संख्या 2, जो कि रजिस्टर्ड सोसायटी है, को वाणिज्यिक भूमि का आवंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है। अप्रार्थी संख्या 02 न तो कृषक था, न है, न ही साधुवाली का निवासी है। यह एक सोसायटी है जिसको अहाताजात आवंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए आवंटन काबिल खारजी है। Rajasthan Panchayat & Nyaya Panchayat [General] Rules,1961 में ऐसा प्रावधान है। नियम 256 में भी व्यक्ति (Person) की परिभाषा है। नियम 257 की भी पालना नहीं हुई। नियम 258,259,260 से 267 की पालना नहीं हुई है। नियम 267 में केवल गांव के निवासी को निःशुल्क व नियम 267–ए में केवल Ex-military personnel को भूमि आवंटन प्रावधान है, न कि सोसायटी को, जो कि श्रींगगानगर में है। आवंटन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैड श्रीमान् जिलाधीश से कोई मन्जूरी नहीं ली गयी है। अप्रार्थी संख्या 02 को आवंटित प्लॉटों

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

2016–

A22
2

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पर कभी भी सोसायटी का कब्जा नहीं रहा, बल्कि दोनों प्लॉटों में से सडक का भी कुछ हिस्से पर निर्माण हो चुका है और शुरू से आज तक बाकी भूमि प्रार्थी का निर्माण दीवार,शौचालय, पानी की टंकी एवं अपना सामान व पशुओं के लिए वर्ष 1961 से पूर्व से ही कर रखा है एवं साधिकार कब्जा प्रार्थी का है। प्रार्थी का भी विवादित प्लॉट पर शुरू से ही क्लेम बनता है। रिविजन के लिये कोई मियाद नहीं है। क्योंकि दिनांक 23.10.2016 को सोसायटी के अधिकारी न आकर धमकी दी है, इसलिए प्रार्थी बिना विलम्ब के निगरानी प्रस्तुत कर रहा है एवं प्रार्थी स्वयं आदेश जेर निगरानी से क्षुब्ध है। इसलिये निगरानी अन्दर मियाद तसव्वर की जावें। सोसायटी के अधिकारी हेमराज द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 9414577480 से निगरानीकार/प्रार्थी के पुत्र श्यामलाल के मोबाईल नम्बर 3414518796 पर कल से बराबर धमकी भरा टेलीफोन किया जा रहा है कि कब्जा हटा लो, वरना आज जे.सी.बी. लेकर आ रहा हूँ। यह धमकी विधि विरूद्व व दादागिरी की परिभाषा में आती है, जबकि कब्जा स्वयं प्रार्थी का मान रहे हैं। लिहाजा निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि आदेश जेर निगरानी दिनांक 23.06.1961 बाबत आवंटन प्लॉट संख्या 214–215 **(जिसे आदेश दिनांक 24.10.2016 से पट्टा विलेख सख्या 214–215 की जगह 314–315 दर्ज किया गया)** द्वारा ग्राम पंचायत साधुवाली को निरस्त फरमाया जावें एवं निगरानी स्वीकार की जावें।

निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि अप्रार्थी संख्या 02 को आवंटन करने का अधिकार पंचायत एक्ट या रूल्स के तहत ग्राम पंचायत को नहीं है। आबादी भूमि केवल विधिनुसार ग्रामवासियों को आंवटन की जा सकती है। अप्रार्थी संख्या 2, जो कि रजिस्टर्ड सोसायटी है, को वाणिज्यिक भूमि का आवंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है। अप्रार्थी संख्या 02 न तो कृषक था, न है, न ही साधुवाली का निवासी है। यह एक सोसायटी है जिसको अहाताजात आवंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए आवंटन काबिल खारजी है। Rajasthan Panchayat & Nyaya Panchayat [General] Rules,1961में ऐसा प्रावधान है। नियम 256 में भी व्यक्ति (Person) की परिभाषा है। नियम 257 की भी पालना नहीं हुई। नियम 258,259,260 से 267 की पालना नहीं हुई है। नियम 267 में केवल गांव के निवासी को निःशुल्क व नियम 267–ए में केवल Ex-military personnel को भूमि आवंटन प्रावधान है, न कि सोसायटी को, जो कि श्रींगगानगर में है। आवंटन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैड श्रीमान् जिलाधीश से कोई मन्जूरी नहीं ली गयी है। अप्रार्थी संख्या 02 को आवंटित प्लॉटों पर कभी भी सोसायटी का कब्जा नहीं रहा, बल्कि दोनों प्लॉटों में से सडक का भी कुछ हिस्से पर निर्माण हो चुका है और शुरू से आज तक बाकी भूमि प्रार्थी का निर्माण दीवार,शौचालय, पानी की टंकी एवं अपना सामान व पशुओं के लिए वर्ष 1961 से पूर्व से ही कर रखा है। कब्जा के सम्बन्ध में अधिवक्त निगरानीकर्ता ने निम्न नजीरें पेश की हैः–

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

1. आर.जे.टी.2017(3) पेज–1995
RAJASTHAN HIGH COURT
Ghewar Chand & Anr. Vs. State of Rajasthan& Ors.
S.B. Civil Writ Petition No. 8887/2017
Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994-Sec. 97-District Collector Rejected the application to dismiss the revision for want of jurisdiction-Patta was registered-Validity of patta issued contrary to the rules,registration of the patta cannot be treated as safe harbor- Registration of patta would be no ground to cancel the patta- held, No illegality in order of rejecting application.

2. डी.एन.जे.2012(3)(राज0) पेज–1399
RAJASTHAN HIGH COURT[JAIPUR BENCH]
Nagar Mal Vs. Addl.District Collector,Sikar & Ors.
S.B. Civil Writ Petition No. 11006,11007,11008
Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996-R. 157- Allotment of plots Addl. Collector cancelled the Pattas- Gross illegalities committed by the Gram Panchayat- No Proper inquiry conduced regarding the length of the possession-Three pattas issued to three members of the same family – Material contradictions between the statements and report of the panchas- Held , Petition is devoid of merits and dismissed.

3. डी.एन.जे.2017(2)(राज0) पेज–668
RAJASTHAN HIGH COURT
Jabbar Singh Rajput Vs. State of Rajasthan thro'Secretary Department of.
S.B. Civil Writ Petition No. 2298,1439-1439-1440

लिहाजा निगरानी आदेश जेर निगरानी दिनांक 23.06.1961 बाबत आवंटन प्लॉट संख्या 314–315 द्वारा ग्राम पंचायत साधुवाली को निरस्त फरमाया जावें एवं निगरानी स्वीकार की जावें।

गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि मुझ प्रार्थी को पट्टा " राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के अध्याय XIII के बिन्दु 2"Sale of abadi lands" के तहत नियम 262 Auctionof land" के तहत गैरनिगरानीकर्ता द्वारा 105/–रूपये 44 नये पैसे की उच्चतम बोली होने से प्रतिफल प्राप्ति पश्चात विक्रय कर जारी किया गया है, जो नियमो के तहत जारी किया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि:–

1. पट्टे में आवंटन की शर्ते भी ऐसी कोई शर्त नहीं है जिससे उसकी अनुपालना नहीं हो पाने की सूरत में पट्टा निरस्त किया जा सकता हो।
2. प्रस्तुत निगरानी ग्राम पंचायत साधुवाली के आदेश दिनांक 23.06.1961 को मंसुख कराने हेतु प्रस्तुत की है परन्तु निगरानीधीन पट्टा एवं ग्राम पंचायत साधुवाली का प्रस्ताव सख्या 26 दिनांक 20.03.1961 है। निगरानीकर्ता द्वारा उल्लिखित दिनांक 23.06.1961 का ग्रांम पंचायत का कोई आदेश ही नहीं है तो उसे निरस्त करने की आवश्यता ही नहीं है।
3. निगरानीधीन पट्टा की दो प्रतिलिपीया निगरानीकर्ता द्वारा पेश की गई है जिनमें समानता हैं। इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पट्टा " राजस्थान पंचायत

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

53/2016

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के अध्याय XIII के बिन्दु 2"Sale of abadi lands" के तहत नियम 262 Auctionof land" के तहत केता पट्टाधारी की 105/–रूपये 44 नये पैसे की उच्चतम बोली होने के फलस्वरूप प्रतिफल प्राप्ति पश्चात विक्रय कर जारी किया गया है, जो विधि की दृष्टि में नियमानुसार है।

4. निगरानीकर्ता ने अपने कथनों के समर्थन में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रकरण में जारी स्थगन आदेश के प्रार्थना पत्र का भी निस्तारण इसी आधार पर दिनांक 22.02.2017 को किया जा चुका है कि " निगरानीकर्ता द्वारा ऐसी कोई सारवान दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे यह प्रतीत होता हो कि उसका प्रथमदृष्टया मामला बनता है।

5. ग्राम पंचायत का पट्टे से सम्बन्धित वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं होने का तात्पर्य यह नहीं है कि पट्टे की वैद्यता और विद्यमानता ही नहीं है। जब तक संदेह से परे जाकर पुष्ट प्रमाणों के द्वारा पट्टे की अवैद्यानिकता सिद्व नहीं कर दी जाती, पट्टे को निरस्त करनेका कोई कारण नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के कम में निगरानीकर्ता द्वारा ऐसी कोई सारवान दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे यह प्रतीत होता हो कि उसका प्रथमदृष्टया मामला बनता है। अतः निगरानी सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकार्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 28.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner